भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1536

(दिनांक 12.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित लोगों के लिए सामग्री की सुलभता

1536. श्रीमती संगीता यादवः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
श्री दीपक प्रकाशः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओटीटी प्लेटफार्मों पर श्रवण बाधित और दृष्टि-बाधित लोगों के लिए समान भाषा में कैप्शन या ऑडियो विवरण जैसी अनिवार्य सुविधाएँ प्रदान करने में विफलता के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ओटीटी प्लेटफार्मों पर अनिवार्य क्लोज्ड कैप्शन और ऑडियो विवरण के कार्यान्वयन की समय-सारिणी क्या है;

(ग) मंत्रालय इन प्लेटफार्मों पर कंटेंट लाइब्रेरी के लिए प्रगतिशील सुगम्यता लक्ष्यों की निगरानी और प्रवर्तन किस प्रकार करेगा;

(घ) क्या मंत्रालय प्रसार भारती द्वारा प्रसारित सभी कंटेंट के लिए अनिवार्य सुगम्यता मानकों का विस्तार करने का विचार रखता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 07.10.2025 को सार्वजनिक परामर्श हेतु श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों के

प्लेटफार्मों (ओटीटी प्लेटफार्मो) पर सामग्री की सुगम्यता संबंधी मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन मसौदा दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित सांविधानिक गारंटियों, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के तहत भारत का दायित्व, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2021 को अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) में निर्दिष्ट आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किया गया है।

इन मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध ऑडियो-विजुअल सामग्री श्रव्य एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्य हो। यह एक दो-चरण की कार्यान्वयन समय-सारिणी भी प्रदान करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले ही दिनांक 11.09.2019 को श्रव्य बाधित व्यक्तियों के लिए टेलीविज़न कार्यक्रमों में सुगम्यता मानक जारी कर चुका है।

उक्त सुगम्यता मानकों के भाग 12 में यह निर्धारित किया गया है कि सुगम्यता सेवाओं का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए–पहले लोक प्रसारक (जैसे प्रसार भारती) द्वारा और उसके बाद प्राइवेट प्रसारकों तथा प्राइवेट समाचार प्रसारकों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाए।
